

आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के आदेश संख्या:डीजी-चार-स्था०-(454)/2022 दिनांक 29.09.2022 द्वारा आरक्षी पीएनओ 112450960 याकूब अहमद(वर्तमान में मुख्य आरक्षी) का जनहित के आधार पर कमिश्नरेट प्रयागराज से एपीटीसी सीतापुर स्थानान्तरण किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस आयुक्त, प्रयागराज के आदेश दिनांक 23.11.2023 द्वारा विलम्ब से उक्त मुख्य आरक्षी को स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त किया गया, जिसके विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या: 20059/2023 मुख्य आरक्षी पीएनओ 112702348 अनिल सिंह व 01 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11.12.2023 को सुनवाई के उपरांत स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2022 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.11.2023 को (abeyance) करते हुये अगले स्थानान्तरण सत्र में विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत स्थानान्तरण किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11.12.2023 को पारित किये गये आदेश के समादर में विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत मुख्य आरक्षी पीएनओ 112450960 याकूब अहमद को जनहित के आधार पर कमिश्नरेट प्रयागराज से एपीटीसी सीतापुर स्थानान्तरित किया जाता है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या: एसपी-(ई-1)-(जनहित)-389 /2024 दिनांक: 29.06.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

उपरोक्त कर्मी को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिवस के अन्दर (दिनांक 09.07.2024 तक) अवश्य कार्यमुक्त कर दिया जाए। विलम्ब से कार्यमुक्त करने के सम्बंध में मा० न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किये जाते हैं, तो आपके कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

DGP HQRS UP LKW



DG-IV-STHA-389/2024/1096 DT 29-06-2024

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना/कार्मिक
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, सेक्टर-7, गोमतीनगरविस्तार, उ०प्र० लखनऊ-226002

संख्या:- डीजी-चार-स्था०-389-2024/1096

दिनांक: जून 29, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त कर्मी को 10 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त कर सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुये इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, एपीटीसी सीतापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त कर्मी के आगमन की तिथि से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुये इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या: व दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ०प्र०।

आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के आदेश संख्या:डीजी-चार-स्था०-(454)/2022 दिनांक 29.09.2022 द्वारा आरक्षी पीएनओ 112702348 अनिल सिंह (वर्तमान में मुख्य आरक्षी) का जनहित के आधार पर कमिश्नरेट प्रयागराज से पीटीएस गोरखपुर स्थानान्तरण किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस आयुक्त, प्रयागराज के आदेश दिनांक 23.11.2023 द्वारा विलम्ब से उक्त मुख्य आरक्षी को स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त किया गया, जिसके विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या: 20059/2023 मुख्य आरक्षी पीएनओ 112702348 अनिल सिंह व 01 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11.12.2023 को सुनवाई के उपरांत स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2022 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.11.2023 को (abeyance) करते हुये अगले स्थानान्तरण सत्र में विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत स्थानान्तरण किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11.12.2023 को पारित किये गये आदेश के समादर में विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत मुख्य आरक्षी पीएनओ 112702348 अनिल सिंह को जनहित के आधार पर कमिश्नरेट प्रयागराज से पीटीएस गोरखपुर स्थानान्तरित किया जाता है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या: एसपी-(ई-1)-(जनहित)-
289 /2024 दिनांक: 29.06.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

उपरोक्त कर्मी को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिवस के अन्दर (दिनांक 09.07.2024 तक) अवश्य कार्यमुक्त कर दिया जाए। विलम्ब से कार्यमुक्त करने के सम्बंध में मा० न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किये जाते है, तो आपके कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

DGP HQRS UP LKW



DG-N-STA3892/24/1097 DT 29-06-2024

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना/कार्मिक
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, सेक्टर-7, गोमतीनगरविस्तार, उ०प्र० लखनऊ-226002

संख्या:- डीजी-चार-स्था०-389-2024/1697

दिनांक: जून 29, 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त कर्मी को 10 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त कर सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुये इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस गोरखपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त कर्मी के आगमन की तिथि से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराते हुये इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या: व दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ०प्र०।